



छत्तीसगढ़ विधान सभा

पंचम विधान सभा - एकादश सत्र

(दिनांक 26 जुलाई, 2021 से 30 जुलाई, 2021 तक)

सत्रावधि में संपादित कार्यों की सांख्यिकीय जानकारी

सत्र की अवधि	05 दिन
बैठकों की संख्या	05
प्रश्नों पर चर्चा	03 घंटे 00 मिनट
प्रथम अनुपूरक	05 घंटे 03 मिनट
बैठकों में लगा कुल समय	27 घंटे 42 मिनट

प्रश्न

सूचनाएं प्राप्त	717
तारांकित प्रश्न	375
अतारांकित प्रश्न	342
ग्राह्य तारांकित	330
ग्राह्य अतारांकित	297
कुल ग्राह्य तारांकित एवं अतारांकित	627
सदन में उत्तरित	30

शासकीय विधेयक

सूचनाएं प्राप्त	04
सदन में पारित	04 (एक विनियोग विधेयक सहित)

नियम 139 की सूचनाएं

कुल प्राप्त सूचनाएं	03
ग्राह्य	02
अग्राह्य	01

विशेषाधिकार भंग की सूचना

प्राप्त सूचनाएं	01
ग्राह्य	निरंक
अग्राह्य	01

स्थगन प्रस्ताव

कुल प्राप्त सूचनाएं	94
अग्राह्य	80
ग्राह्य	14(एक विषय)
ध्यानाकर्षण में परिवर्तित	निरंक

ध्यानाकर्षण सूचनाएं

कुल प्राप्त सूचनाएं	244
अग्राह्य	148
ग्राह्य	65
शून्यकाल में परिवर्तित	31

नियम 267-क के अंतर्गत विषय

कुल सूचनाएं	79
ध्यानाकर्षण से परिवर्तित	29
ग्राह्य	40
अग्राह्य	39

अशासकीय विधेयक

प्राप्त सूचनाएं	01
ग्राह्य	01

अशासकीय संकल्प

प्राप्त सूचनाएं	04
ग्राह्य	03
अग्राह्य	01

याचिकाएं

प्राप्त सूचनाएं	101
ग्राह्य	38
अग्राह्य	63
सदन में प्रस्तुत	37
व्यपगत	01

अधिसूचना का पटल पर रखा जाना

प्राप्त अधिसूचना	06
पटल पर रखे गये	06

वित्तीय कार्य

वित्तीय वर्ष 2021-2022 के प्रथम अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन, विचार तथा पारण

राज्य के विभिन्न निगम/मंडल/आयोगों के प्रतिवेदन का पटल पर रखा जाना

प्राप्त प्रतिवेदन	16
पटल पर रखे गये	16

विधान सभा की समितियों के प्रतिवेदन का पटल पर रखा जाना

1. कार्यमंत्रणा समिति	01
2. गैर सरकारी सदस्यों के संकल्पों तथा विधेयक संबंधी समिति	01
3. लोकलेखा समिति	04
4. याचिका समिति	01

राज्य के बजट से संबंधित जानकारियों का पटल पर रखा जाना

- वर्ष 2020-2021 के बजट की तृतीय एवं अंतिम तिमाही की आय तथा व्यय की प्रवृत्तियों की समीक्षा
- जांच आयोग अधिनियम, 1952 (क्रमांक 60 सन् 1952) की धारा 3 की उपधारा (4) की अपेक्षानुसार थाना मुलमुला, जिला-जांजगीर-चांपा में पुलिस अभिरक्षा में श्री सतीश नोरंगे,

पिता-श्री राजाराम नोरंगे, निवासी नरियरा की हुई मृत्यु की जांच हेतु गठित न्यायिक जांच आयोग का प्रतिवेदन

3. भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त छत्तीसगढ़ राज्य के वर्ष 2019-20 के वित्त लेखे खण्ड-1 एवं खण्ड-2 तथा विनियोग लेखे, छत्तीसगढ़ शासन,
4. भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त राजस्व क्षेत्र पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन (वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 01),
5. भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2019 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त सामान्य, सामाजिक व आर्थिक क्षेत्र तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों पर प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन (वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 02),
6. भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के खण्ड (2) की अपेक्षानुसार दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिये भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक से प्राप्त राज्य वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन (वर्ष 2021 का प्रतिवेदन संख्या 03),

पुस्तकालय, संदर्भ एवं अनुसंधान सेवा	26 जुलाई से 30 जुलाई, 2021 तक सत्र के दौरान माननीय सदस्यों के द्वारा पुस्तकालय अध्ययन कक्ष में पुस्तकालय संदर्भ साहित्य का अवलोकन / अध्ययन किया गया । माननीय सदस्यों को कुल 74 पृष्ठ का संदर्भ उपलब्ध कराया गया ।
छत्तीसगढ़ विधान सभा की वेबसाइट	छत्तीसगढ़ विधान सभा की वेबसाइट में दिनांक 26 जुलाई से 30 जुलाई, 2021 तक सत्रावधि के दौरान वेबसाइट पर लगभग 8000 विजिटर्स द्वारा अवलोकन किया गया ।